


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवान..... का. व. रा. रा. बनाम ताराचंद

किरम प्रकरण- अपील/अपील नामा 0 प्रकरण संख्या..... 14..... / 2024

जीसीएमएस संख्या:- 2024/69

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./रा.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
<p>7/6/24</p> <p>3/7/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। बाद मुलाहिजा रीडर रिपोर्ट पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। विपक्षी के अतिरिक्त सम्बन्धित रिकार्ड की अदालत मातहत से तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक <u>3/7/24</u> को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट एवं स्वयं अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में आगे कोई कोई कार्यवाही नहीं करने वाला निवेदन करते हुए प्रकरण को जोट प्रेश में खारिज करने का निवेदन किया है। इस स्वयं अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट के निवेदन पर यह अपील जोट प्रेश में खारिज ही जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कर हो एवं वर तमिख दारिखल दायिलेख ही जावे। कार्य सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>	<p>इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन है।</p> <p><u>का. व. रा. रा.</u></p> <p><u>3/7/24</u></p>

